चित्रकूट-पुलिस

(1). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे "मिशन शक्ति अभियान-4" के तत्वाधान में जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों/''शक्ति दीदी'' द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरुक किया गया।

"मिशन शक्ति अभियान-4" व ''शक्ति दीदी'' अभियान के तहत आज दिनांक 23.04.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रो में एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामो में भ्रमण किया गया । महिलाओं/बालिकाओँ को "मिशन शक्ति" व ''शक्ति दीदी'' के सार्वजनिक स्थलो जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरुक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियां दी गई। इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है। इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया। इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की जाती है।

(2). आज दिनांक 23.04.2024 को अपर पुलिस अधीक्षक जनपद चित्रकूट श्री चक्रपाणि त्रिपाठी द्वारा पुलिस लाइन में मंगलवार परेड की सलामी लेकर परेड का निरीक्षण किया गया। परेड में अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा पुलिसकर्मियों की ड्रिल का निरीक्षण किया। बाद परेड महोदय द्वारा पुलिस लाइन का भ्रमण कर परिवहन शाखा, मैस, बैरिक, आरओ प्लांट, क्वार्टर गार्द,स्टोर रूम का निरीक्षण कर प्रतिसार निरीक्षक पुलिस लाइन श्री शिवनारायण को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये। तत्पश्चात महोदय द्वारा कर्मचारीगणों को अर्दली रुम किया गया।

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में आगामी लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत अपराध एवं अपराधियों की रोकथाम हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री उपेन्द्र

प्रताप सिंह के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री राजीव कुमार सिंह तथा उनके हमराह आरक्षी नीतू द्विवेदी द्वारा अभियुक्त करन पुत्र दारा सिंह निवासी गल्ला मण्डी अलोपीबाग के पास थाना दारागंज जनपद प्रयागराज को 01 अदद देशी तमंचा 12 बोर व 02 अदद जिंदा कारतूस 12 बोर बरामद के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना कोतवाली कर्वी में धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया ।

बरामदगीः-

01 अदद देशी तमंचा 12 बोर

02 अदद जिंदा कारतूस 12 बोर

गिरफ्तार करने वाली टीमः-

1.उ0नि0 श्री राजीव कुमार सिंह थाना कोतवाली कर्वी

2.आरक्षी नीतू द्विवेदी

(4). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत अवैध शराब निर्माण एवं बिक्री की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में चित्रकूट पुलिस ने 03 अभियुक्तों के कब्जे से 65 क्वार्टर देशी व 15 लीटर कच्ची बरामद की।

(i). चौकी प्रभारी शिवरामपुर उ0नि0 श्री सत्यपति त्रिपाठी तथा उनके हमराही द्वारा अभियुक्त मुकेश पुत्र स्व0 अशोक गोसाई निवासी नई बस्ती शिवरामपुर थाना कोत0 कर्वी जनपद चित्रकूट को 45 क्वार्टर देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया । अभियुक्त के विरूद्ध थाना कोतवाली कर्वी में धारा 60 आबकारी अधिनियम अभियोग पंजीकृत किया गया।

(ii). उ0नि0 श्री शिवसागर दुबे थाना रैपुरा तथा उनके हमराही द्वारा अभियुक्त संतोष पुत्र स्व0 मुन्नीलाल निवासी भखरवार थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट को 20 क्वार्टर देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध थाना रैपुरा में धारा 60 आबकारी अधिनियम अभियोग पंजीकृत किया गया।

(iii) उ0नि0 अनिल कुमार गुप्ता थाना कोतवाली कर्वी एवं हमराह आरक्षी सुरेन्द्र द्वारा अभियुक्त सत्यनारायण रैकवार पुत्र रामकुमार रैकवार निवासी गोलतालाब कुंजनपुरवा थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को 15 लीटर कच्ची शराब महुआ नाजायज के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध थाना कोतवाली कर्वी में धारा 60 आबकारी अधिनियम अभियोग पंजीकृत किया गया

(5). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में चित्रकूट पुलिस ने 01 वांछित व 01 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया।

(i). उ0नि0 श्री शिवरामगर दुबे थाना रैपुरा तथा उनके हमराही महिला आरक्षी शबनाज एवं आरक्षी चन्द्रभूषण राय द्वारा मु0नं0 1051/21 अ0सं0 03/2021 धारा 279,337,338,427 भादवि0 के वारण्टी अभियुक्त मोहनलाल पुत्र दुर्गा प्रसाद निवासी रामनगर थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(ii) निरीक्षक क्राइम श्री अभय राज सिंह थाना मऊ तथा उनके हमराह आरक्षी सौरभ राजपूत द्वारा मु0अ0सं0 124/2024 धारा 376 भादवि0 व 3/4 पॉक्सो एक्ट के वांछित अभियुक्त रज्जू उर्फ शिव कैलाश पुत्र राम कैलाश निवासी टिकरा थाना मऊ जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(6). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने हेतु की जा रही कार्यवाही के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री चक्रपाणि त्रिपाठी एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री राज कमल के पर्यवेक्षण

में निरीक्षक अपराध श्री राकेश कुमार सिंह तथा उनकी टीम द्वारा कर्वी बस स्टैण्ड से व्यापारी के साथ हुयी टप्पेबाजी घटना का सफल अनावरण करते हुये एक और टप्पेबाज चोर को 01 लाख 10 हजार रूपयें एवं चोरी में प्रयुक्त की गयी मोटर साइकिल के साथ गिरफ्तार किया गया।

<u>घटना का संक्षिप्त विवरणः-</u>

उल्लेखनीय है कि दिनाँक 06.04.2024 को कर्वी बस स्टैण्ड से सोने-चांदी के व्यापारी श्री भगवान सिंह पुत्र स्व0 गनेश सिंह निवासी के 46/146 हरतीरथ, कोतवाली काशी कमिश्नरेट वाराणसी के साथ अज्ञात चोरों ने उनका चांदी की वस्तुओं से भरा बैग रोडबेज बस से चोरी कर लिया था । घटना के सम्बन्ध में थाना कोतवाली कर्वी में मु0अ0सं0 244/24 धारा 379 भादवि0 बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया था । जिसमें अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु लगातार प्रयास किये जा रहे है। इसी क्रम में आज दिनांक 23.04.2024 को निरीक्षक अपराध श्री राकेश कुमार सिंह थाना पहाड़ी क्षेत्र होते हुए राजापुर पहुंचकर पतारसी सुरागरसी करते हुए वाहन चेकिंग कर रहे थे कि जरिये मुखविर खास सूचना मिली की दिनांक 06.04.2024 को रोडबेज बस स्टैण्ड से चांदी का बैंग चोरी कर जिस मोटर साइकिल पर रखकर ले जाते हुए सीसीटीवी फुटेज में आपने दिखाया था जिसे लेकर एक व्यक्ति बांदा की ओर से आ रहा है तत्काल मुझ निरीक्षक द्वारा लूप लाइन तिराहा पर बांदा की तरफ से आ रही वाहनों की चेकिंग की गयी तो एक बिना नम्बर की मोटर साइकिल जिस पर एक व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया जो पुलिस पार्टी को देखकर अचानक पीछे मुड़कर भागना चाहा कि तत्काल मुझ निरीक्षक अपराध एवं हमराही द्वारा तत्परता से मौके पर ही पकड़ लिया गया। पकड़े हुए व्यक्ति से नाम पता पूछा गया तो अपना नाम ननके प्रसाद पुत्र जगतराम निवासी गनेशपुर थाना एकौना जिला श्रावस्ती बताया जो थाना स्थानीय का वांछित अभियुक्त है गिरफ्तार कर जामा तलाशी ली गयी तो जेब से 01 लाख 10 हजार रूपया एवं घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल बिना नम्बर प्लेट के साथ गिरफ्तार किया गया। पूछताछ पर माफी मांगते हुए बताया कि दिनांक 06.04.2024 को बस स्टैण्ड कर्वी चित्रकूट में रोडबेज बस स्टैण्ड से जो चांदी का बैग मैने व अमरनाथ पुत्र रामराज निवासी गोहनारपुर थाना आलापुर जिला अम्बेडकर नगर व राममिलन निषाद पुत्र लोरीक निवासी जठठहवा मजरा रामनगर महुआर थाना आलापुर जिला अम्बेडकर नगर व इन्दल उर्फ राजेन्द्र पुत्र अछैवर निवासी सिरवां चौकी बुदनपुर थाना अतरौलिया जिला आजमगढ़ चोरी किया था उसमें मेरे हिस्से की चांदी को राममिलन निषाद द्वारा बेचकर मुझे 2 लाख रूपया दिया था मुझे यह नही पता कि राममिलन ने चांदी को कहा बेचा था। जिसमें से 01 लाख 10 हजार 500 रूपये आपने पकड़ लिया शेष 99500 मेरे द्वारा खर्च कर लिया गया। मोटर साइकिल के बारे में पूछा गया तो बताया कि राममिलन के कहने पर मेरी मोटर साइकिल राममिलन कर्वी लेकर आया था।

<u>बरामदगी</u>

1. 01 लाख 10 हजार 500 रूपये
2. एक अदद मोटर साइकिल सुपर स्प्लेण्डर स्लेटी कलर बिना नम्बर प्लेट

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-</u>

1.निरीक्षक अपराध कोतवाली कर्वी श्री राकेश कुमार सिंह

2. आरक्षी राहुल देव

3.आरक्षी शुभम शर्मा

4.आरक्षी पवन राजपूत

(7). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन एवं मिशन शक्ति अभियान के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक मऊ श्री अजीत कुमार पांडेय एवं पैरोकार महिला आरक्षी कृष्णा गौतम एवं मॉनिटरिंग सेल प्रभारी श्री विनोद कुमार शुक्ल द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं

सहायक अभियोजन अधिकारी श्री हरिओम सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय किशोर न्याय बोर्ड सुश्री अंजलिका प्रियदर्शनी द्वारा पुलिस मुख्यालय से पैरवी हेतु चिन्हित एवं थाना मऊ में पंजीकृत मु0अ0सं0 638/2008 धारा 304,308,324,506 भादवि0 के आरोपी अभियुक्त बाल अपचारी को 01 वर्ष के कारावास से दण्डित किया गया जिसमे जेल में बिताई गई अवधि समायोजित की जाएगी।

(8). आज दिनाँक 23.04.2024 को अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री चक्रपाणि त्रिपाठी द्वारा क्षेत्राधिकारी मऊ श्री जयकरन सिंह उपस्थिति में थाना मऊ में थाना मऊ एवं थाना बरगढ़ के विवेचकों का अर्दली रुम किया गया। महोदय द्वारा अर्दली रुम के दौरान सम्मन,तामिला,बीडब्ल्यू,एनबीडब्ल्यू,82सीआरपीसी/83सीआरपीसी की तामिला,आरोप पत्र,अंतिम पत्र एवं विशेष अभियान चलाकर विवेचकों को गुण दोष के आधार पर विवेचना के निस्तारण हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए गये।

अर्दली रुम के दौरान प्रभारी निरीक्षक मऊ श्री अजीत कुमार पांडेय,वाचक अपर पुलिस अधीक्षक श्री अशोक सिंह एवं अन्य विवेचकगण उपस्थित रहे।

(9). आज दिनाँक 23.04.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में आगामी लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृण बनाये रखने हेतु अपर पुलिस अधीक्षक श्री चक्रपाणि त्रिपाठी के नेतृत्व में क्षेत्राधिकारी मऊ श्री जय करन की उपस्थिति में पुलिस बल के साथ कस्बा मऊ के भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया। पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओं एवं क्षेत्रीय नागरिको से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया।

पैदल गस्त के दौरान प्रभारी निरीक्षक मऊ श्री अजीत कुमार पांडेय एवं अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण मौजूद रहे।